



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 784/वि०स०/संसदीय/81(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 11 मई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (चच) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (छछ) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
	(छछ) "उपभोक्ता प्रभारों" का तात्पर्य वस्तु अथवा सेवा के प्रतिफल में संदत्त धनराशि से है।
धारा 7 का संशोधन	3-मूल अधिनियम में, धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
	प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्ध का कोई प्रभाव, निम्नलिखित पर नहीं होगा:-
	<ol style="list-style-type: none"> 1-मण्डी उप स्थल; 2-सीधा विपणन; 3-निजी मण्डी स्थल; 4-एकीकृत लाइसेन्स के माध्यम से व्यापार; 5-न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन क्रय केन्द्र; 6-निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अनुमोदित डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार :
	प्रतिबन्ध यह है कि मण्डी समिति अथवा निदेशक, कृषि विपणन द्वारा जारी लाइसेन्स, घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल से विनिर्दिष्ट दूरी के अन्तर्गत नहीं होंगे, जैसा कि निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अवधारित किया जाय।
धारा 7-क का संशोधन	4-मूल अधिनियम की धारा 7-क में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
	(3) घोषित मण्डी उप स्थल में ऐसे भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या अन्य संरचना या स्थान पर संव्यवहृत करने वाले व्यक्ति को, संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पाद के मूल्य पर मण्डी समिति को लागू मण्डी शुल्क के 75 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। मण्डी उप स्थल का स्वामी/लाइसेंसधारी, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर प्रयोक्ता प्रभार के रूप में ऐसे मण्डी शुल्क के पच्चीस प्रतिशत तक की धनराशि उद्ग्रहीत और संग्रहीत कर सकता है जिसे उक्त स्थल के अनुरक्षण तथा विकास के लिये व्यय किया जा सकता है।
नई धारा 7-ड का बढ़ाया जाना	5-मूल अधिनियम में, धारा 7-घ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
	धारा 7-ड उत्पादक-उपभोक्ता मण्डी स्थल की स्थापना (उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को फुटकर सीमा के अन्तर्गत कृषि उत्पाद का विक्रय किया जाना)-
	(1) विहित शुल्क, शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे सम्बन्धित व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर सकता है, जो उत्पादक-उपभोक्ता मण्डियों स्थापित करें, जिनमें विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का फुटकर व्यापार हो सके।
	(2) लाइसेंसधारी यथा विहित रूप में उत्पादक एवं उपभोक्ता के पहुँच के भीतर उत्पादक-उपभोक्ता मण्डी में अवसंरचना स्थापित एवं विकसित कर सकता है :
	प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता फुटकर सीमा के अन्तर्गत क्रय करेगा।
धारा 9-क का संशोधन	6-मूल अधिनियम की धारा 9-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
	(1) कोई मण्डी समिति, जो मुख्य मण्डी समिति होगी, कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए उपविधियों में यथाविहित रीति से, सम्पूर्ण राज्य में पूर्व संसूचित स्थलों पर, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है -
	(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण;
	(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार;
	(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और संव्यवहरण।

7—मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (तीन) में, उपखण्ड (ख) के पश्चात् धारा 17 का निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- संशोधन

(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रूप में प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/मण्डी उप स्थल में प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति द्वारा प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

8—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 9
सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय के विनियमन हेतु तथा उत्तर प्रदेश में उनकी मण्डियों की स्थापना, अधीक्षण एवं नियंत्रण हेतु उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) अधिनियमित किया गया था। कृषकों के हित में मण्डी को अपेक्षाकृत अधिक स्पर्धात्मक बनाने हेतु और कृषकों तथा व्यापारियों की भीड़ रोकने तथा सामाजिक दूरी के मानकों का अनुसरण करने के लिए मण्डी स्थलों का विकेन्द्रीकरण से संबंधित कोविड-19 के कार्यक्षेत्र में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी उपस्थलों के प्रभावी विकास हेतु उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन किये जाने अपेक्षित थे। अग्रतर यह कि उत्पादक-उपभोक्ता मण्डी स्थापित करके, जिससे कि बिचौलियों की संख्या में कमी आ सके और उत्पादकों को 100 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य प्राप्त हो सके, उपभोक्ताओं और साथ ही साथ उत्पादकों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से व्यापार जारी रखने के लिये एकीकृत लाइसेंस का उपबंध करने हेतु भी संशोधन किये जाने अपेक्षित थे।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 09 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

श्रीराम चौहान,
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2020 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

धारा

7—(2) राज्य सरकार, जहाँ लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे अधिसूचना द्वारा;—

(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन में से सभी या किसी का थोक सौदा उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप-मण्डी स्थल के भीतर केवल किसी निर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायेगा।

धारा 7-क(3) ऐसे भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान के स्वामी को उस मण्डी क्षेत्र की सम्बन्धित मण्डी समिति से लाइसेंस लेना होगा और घोषित मण्डी उप-स्थल पर संव्यवहृत किये गये अधिसूचित कृषि उत्पाद पर मूल्यानुसार दर से लागू मण्डी शुल्क का भुगतान करना होगा और मण्डी समिति को ऐसे मण्डी शुल्क का अभिदान करना होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कृषक-विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

धारा 9-क(1) कोई मण्डी समिति कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए, यथाविहित रीति में, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है :-

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण,

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार,

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और सौदा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 543/XC-S-1-20-48S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2020" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (DWITIYA SANSHODHAN)
VIDHEYAK, 2020

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1(1). This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from May 11, 2020.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 25 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter called as the principal Act, *after* clause (ee), the following new clause (ff) shall be *inserted*, namely :-

(ff) "User Charges" means the amount paid in consideration of material or service.

3. In the principal Act, *for* the proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 7 the following proviso shall be *substituted*, namely : Amendment of section 7

Provided that the provisions of this clause shall have no effect on the following –

1. Market sub yard;
2. Direct Marketing;
3. Private Mandi Yard;
4. Trade through Unified License;
5. Purchase Centres under minimum support price scheme;
6. Trade through digital platform approved by Director, Mandi Parishad:

Provided that the licenses issued by Mandi Samiti or Director, Agriculture Marketing shall not be within the specified distance from the declared and constructed principal market yard/sub-market yard, determined by Director, Mandi Parishad.

4. In section 7-A of the principal Act, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :– Amendment of section 7-A

(3) The person transacting within such warehouse/silo/cold storage or other structure or place, in declared market sub-yard, shall have to pay 75% of the applicable market fee to the market committee on the value of transacted notified agriculture produce. The owner/licensee of the market sub-yard may levy and collect up to 25% of the market fee as user charge on the specified agriculture produce, which can be spent for maintenance and development of the yard.

5. In the principal Act *after* section 7-D, the following new section shall be *inserted*, namely :– Insertion of new section 7-E

7-E. Establishment of Producer Consumer market yard (Sale of agriculture produce within retail limit by producer to the consumer) –

(1) Subject to prescribed fee, conditions and restrictions, the officer authorised by the Government may issue license to the concerned person who establish producer consumer markets in which retail trade of specified agriculture produce can take place.

(2) The licensee may establish and develop the infrastructure in the producer consumer market, within the reach of producer and consumers, as may be prescribed:

Provided that the consumer shall purchase within the retail limit.

6. In section 9-A of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :– Amendment of section 9-A

(1) Any Market Committee, which shall be main Mandi Samiti, may grant unified license to purchase specified agriculture produce from the farmers and traders in such a manner as may be prescribed in the bye laws, in the pre-communicated places in the whole State, for one or more of the following purposes :–

	(a) processing of specified agriculture produce;	
	(b) trading of specified agriculture produce;	
	(c) grading, packing and transaction in other way by value addition of specified agriculture produce.	
Amendment of section 17	7. In section 17 of the principal Act in clause (iii) <i>after</i> sub-clause (b) the following sub-clause shall be <i>inserted</i> , namely :—	
	(c) User charge shall be levied and collected by the market committee in consideration to the rendered material or services in the principal market yard/sub-market yard/market sub-yard, as prescribed by the State Government.	
Repeal and saving	8. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 is hereby repealed.	U.P. Ordinance no. 9 of 2020
	(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.	

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) was enacted to provide for regulation of sale and purchase of agricultural produce and for the establishment, superintendence and control of markets thereof in Uttar Pradesh.

To make the market more competitive, in the interest of the farmers and in view of the guidelines of the Government of India in the purview of Covid-19 relating to the decentralization of mandi sites for stopping crowding of farmers and traders and to follow social distancing standards, certain amendments were required in the Act, for effective development of Mandi sub-sites.

Further, amendments were also required to provide for an integrated license to carry on trade in order to protect interests of consumers along with the producers by establishing a producer consumer market which would reduce the member of middlemen and get up to 100 per cent of consumer price to the producers, lastly amendments were required in the Act, to provide for inclusion of private capital which would generate additional employment.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (U.P. Ordinance no. 9 of 2020) was promulgated by the Governor on May 11, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

SRIRAM CHAUHAN,
Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),
Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.